भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1966
दिनांक 31 जुलाई 2025

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 और 2.0 के अंतर्गत जारी किए गए कनेक्शन

†1966. **डॉ. अमर सिंह:**
श्री बलवंत बसवंत वानखडे:
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:
श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019-20 से अब तक उज्ज्वला 1.0 और उज्जवला 2.0 सहित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत जारी किए गए कुल कनेक्शनों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2022-23 से अब तक कम से कम एक रिफिल, दो रिफिल, तीन रिफिल और छह से अधिक रिफिल लेने वाले लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन या प्रभाव आकलन किया गया है कि क्या पीएमयूवाई कनेक्शनों से लकड़ी और मिट्टी के तेल जैसे खाने पकाने के पारंपरिक ईंधन का उपयोग कम हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शनों के प्रतिशत के संबंध में डेटा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): पूरे देश में गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरूआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तत्पश्चात सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत और 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया और दिसंबर 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य को भी हासिल कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदन प्रदान किया था जिसे जुलाई, 2024 तक हासिल कर लिया गया था। दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।

पीएमयूवाई के अन्तर्गत जारी कनेक्शनों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा की जाने वाली एलपीजी खपत की निगरानी पीपीएसी की खपत सम्बन्धी रिपोर्ट, कॉमन एलपीजी डेटा प्लेटफॉर्म (सीएलडीपी) और तेल विपणन कम्पनियों के साथ बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत कई घटकों यथा- खान-पान की आदतें, परिवार का आकार, भोजन पकाने की आदतें, परंपरा, स्वाद, पसंद, मूल्य, वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है ।

योजना के बारे में भी जागरूकता पैदा करने एवं एलपीजी के उपयोग से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए भी तेल विपणन कम्पनियाँ (ओएमसीज) ग्राहकों के लिए एलपीजी पंचायतों का आयोजन नियमित रूप से करती हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के बेहतर उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राजसहायता राशि से ऋण वसूली को स्थगित करना, अग्रिम नकद व्यय को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलेंडर में अदला-बदली का विकल्प, 5 किलोग्राम का डबल बॉटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों द्वारा एलपीजी का उपयोग निरंतर आधार पर करने हेतु प्रोत्साहित करने के निमित्त प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन करना, जन जागरूकता शिविर आयोजित करना आदि शामिल हैं।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक वहनीय बनाने और उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए यथाआनुपातिक) 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपए की निर्धारित राजसहायता आरम्भ की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने निर्धारित राजसहायता को बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 553 रुपए प्रति सिलेंडर के प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रतिवर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर 4.47 (वित्त वर्ष 2024-25) हो गई है।

पीएमयूवाई कनेक्शनों की निष्क्रियता का आकलन उन उपभोक्ताओं के माध्यम से किया जा सकता है जिन्होंने कनेक्शन लगवाने के बाद कोई रिफिल नहीं लिया है। दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.3% पीएमयूवाई उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन लगवाने के बाद से कोई रिफिल नहीं लिया है।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में एक रिफिल, दो रिफिल, तीन रिफिल और छः से अधिक रिफिल लेने वाले पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों और प्रतिवेदनों से अभिज्ञात हुआ है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं और परिवारों के जीवन पर विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके कुछ प्रमुख लाभों का संक्षेप निम्नानुसार हैं :-

i. पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप पारंपरिक रूप से भोजन पकाने के तरीकों, जिसमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेषों जैसे ठोस ईंधन को जलाना शामिल है, में परिवर्तन आया है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के

अंदर वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर महिलाएँ और बच्चे जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएँ के संपर्क में अधिक आते हैं, में सुधार होता है।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, अक्सर अपने समय और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पारंपरिक रूप से भोजन पकाने के ईंधन को इकट्ठा करने में निकाल देते हैं। एलपीजी ने गरीब परिवारों की महिलाओं द्वारा भोजन पकाने में लगने वाले समय और मेहनत को कम किया है। इस प्रकार, उनके पास उपलब्ध खाली समय का उपयोग कई क्षेत्रों में आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

iii. बायोमास और पारंपरिक ईंधन से एलपीजी में बदलाव से भोजन पकाने के प्रयोजन से लकड़ी और अन्य बायोमास पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण में कमी आती है। इससे न केवल परिवारों को लाभ होता है, बल्कि व्यापक रूप से पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रयासों में भी योगदान मिलता है।

iv. बेहतर भोजन पकाने की सुविधाओं के साथ, पोषण पर संभाव्य सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवारों के विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन को पकाना आसान हो जाता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सम्वर्धन होता है।

*****

अनुलग्नक-क

"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 और 2.0 के अंतर्गत जारी किए गए कनेक्शन" विषय पर दिनांक 31.07.2025 को पूछे जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1966 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2019-20 से पीएमयूवाई योजना के अन्तर्गत जारी एलपीजी कनेक्शन का राज्यवार विवरण

राज्य/के.शा.प्र.	पीएमयूवाई (चरण 1)	उज्ज्वला 2.0			
	2019-20	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,547	811	46	383	-
आंध्र प्रदेश	49,262	25,222	95,672	4,55,997	3,203
अरुणाचल प्रदेश	5,384	3,457	1,514	4,544	9
असम	6,48,961	5,11,073	4,24,243	6,77,955	8,138
बिहार	6,43,107	16,13,210	6,39,296	8,85,019	9,662
चंडीगढ़	-	5	569	1,366	-
छत्तीसगढ	2,96,736	3,73,735	1,44,003	2,93,324	16,605
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	644	39	14	2,795	2
दिल्ली	3,058	22,638	43,594	1,14,936	2,941
गोवा	10	-	141	692	-
गुजरात	3,79,993	5,40,537	4,06,881	4,62,062	4,795
हरियाणा	50,472	13,675	29,097	3,45,912	2,333
हिमाचल प्रदेश	23,048	2,058	2,525	10,089	54
जम्मू और कश्मीर	1,88,317	9,415	7,110	25,324	367
झारखंड	3,56,981	2,19,486	1,74,072	2,49,411	1,559
कर्नाटक	3,23,478	3,28,275	2,93,751	3,91,934	695
केरल	46,379	44,456	40,802	46,564	97
लद्दाख	745	28	1	2	-
लक्षद्वीप	-	10	14	61	-
मध्य प्रदेश	7,08,815	7,95,859	2,92,462	6,05,761	15,730
महाराष्ट्र	3,64,878	2,81,997	1,94,467	3,27,823	3,523
मणिपुर	26,221	22,025	23,691	22,970	-
मेघालय	10,433	22,628	41,847	1,01,774	1,385
मिजोरम	2,337	1,523	3,962	2,436	22
नगालैंड	5,738	21,977	14,956	30,324	68
ओडिशा	5,14,096	4,55,549	1,37,729	2,26,972	2,798
पुदुच्चेरी	203	655	616	4,485	20
पंजाब	15,256	17,132	48,514	75,928	53
राजस्थान	6,73,000	2,64,503	3,10,247	4,51,692	7,030
सिक्किम	954	3,707	1,341	6,116	-
तमिलनाडु	1,00,374	2,14,225	2,57,068	3,97,716	1,849
तेलंगाना	1,48,480	40,198	41,845	32,890	336
त्रिपुरा	33,495	5,827	11,673	31,959	1,060
उत्तर प्रदेश	17,93,397	20,00,914	7,98,372	10,90,440	5,861
उत्तराखंड	51,645	46,778	48,157	33,756	151
पश्चिम बंगाल	7,94,376	20,96,373	14,69,708	6,107	2,108

स्रोत – पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक-ख

"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 और 2.0 के अंतर्गत जारी किए गए कनेक्शन" विषय पर दिनांक 31.07.2025 को पूछे जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1966 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2022-23 से एक रिफिल, दो रिफिल, तीन रिफिल और छः से अधिक रिफिल लेने वाले पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या का वर्ष-वार विवरण

वि.व.	कुल पीएमयूवाई उपभोक्ता (वि.व. के अंत में)	एक रिफिल	दो रिफिल,	तीन रिफिल	छः से अधिक रिफिल
2022-23	9,58,59,418	1,54,74,040	1,49,24,938	1,31,19,605	1,58,42,186
2023-24	10,32,66,007	1,66,52,314	1,39,79,305	1,24,79,489	2,03,15,458
2024-25	10,33,24,916	1,29,75,672	1,13,33,996	1,05,50,650	2,81,17,559

स्रोत – पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल